इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2012—ज्येष्ठ 17, शक 1934

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 2012

क्र. 84 (2)-वि. निर्वा.-4-2012-285.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-एग्जिट-2012-एसडीआर.-(उप निर्वा.-वि.स. एवं लो. स.), दिनांक 29 मई 2012 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 29 मई 2012

अधिसूचना

संख्या 576-एग्जिट-2012-एसडीआर.(उप निर्वा.-वि.स. एवं लो. स.).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126-क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एतद्द्वारा दिनांक 12-6-2012 (मंगलवार) के दिन प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 24 अप्रैल, 2012 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आन्ध्रप्रदेश में 39-नेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 286-तिरूपति, 253-अल्लागड्डा, 244-राजमपेट, 247-रायाचोटी, 104-पारकल, 227-ओंगोले, 127-नारासन्नापेट, 152-पायाकारओपेट (अ. जा.), 272-अनन्तपुर शहरी, 263-येम्मीगनुर, 267-रायदुर्ग, 246-कोडुर (अ. जा.), 242-उदयगिरि, 177-नरसापुरम, 212-प्राथीपाडु (अ. जा.), 161-रामचन्द्रपुरम, 220-माचेरला और 186-पोलावरम (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 183-महेश्वर (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 20-नालचार (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 230-दासपुर एवं 252-बंकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 82-माट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में 180-पुडुक्कोट्टाई विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र में 232-कैज (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड में 64-हटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में घोषित वर्तमान उप-निर्वाचन से संबंधित किसी एक्जिट पोल को संचालित करना या किसी एक्जिट पोल के परिणाम को किसी भी रूप में प्रचारित करना निषेध है.

पुनः यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपरोक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिये किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में, किसी ओपिनियन पोल या किसी भी अन्य पोल सर्वे के परिणाम सहित, निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करना निषिद्ध है.

आदेश से,
हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated the 29th May 2012

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2012-SDR (BYE-LA & HP).—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of clause (b) of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8 A. M. and 5.30 P. M. on 12-6-2012 (Tuesday), as the period during which conducting any exit poll or disserminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current bye-elections announced vide the Commission's Press Note dated 24th April, 2012 from 39-Nallore Parliamentary Constituency, 286-Tirupati, 253-Allagadda, 244-Rajampet, 247-Rayachoti, 104-Parkal, 227-Ongole, 127-Narasannapeta, 152-Payakaraopet (SC), 272-Anantapur Urban, 263-Yemmiganur, 267-Rayadurg, 246-Kodur (SC), 242-Udayagiri, 177-Narasapuram, 212-Prathipadu (SC), 161-Ramachandrapuram, 220-Macherla & 186-Polavaram (ST), Assembly Constituencies in Andhra Pradesh and 183-Maheshwar (SC) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 20-Nalchar (SC) Assembly Constituency in Tripura, 230-Daspur & 252-Bankura Assembly Constituencies in West Bengal, 82-Mant Assembly Constituency in Uttar Pradesh, 180-Pudukkottai Assembly Constituency in Tamil Nadu, 232-Kaij (SC) Assembly Constituency in Maharashtra and 64-Hatia Assembly Constituency in Jharkhand, would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in respect of each of the aforesaid bye-elections.

By Order,
Sd./-

(ASHISH CHAKRABORTY)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.